



क्रमांक/ SEML/SW/FC/333

दिनांक - 19.05.2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण वनमंडल शहडोल, (म. प्र.)

विषय - शहडोल एवं उमरिया जिले के (साहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक) रकबा 619.00 हे भूमि में शामिल शहडोल जिले के रकबा 15.549 हे राजस्व वनभूमि में भूमिगत पद्धति से कोयला खनन अनुमति हेतु सारडा एनर्जी & मिनरल्स लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) को उपयोग पर देने बाबत।

ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक - FP/MP/MIN/151378/2022

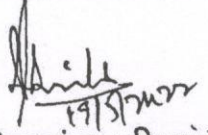
सन्दर्भ - आपका पत्र क्रमांक/मा.चि. /2022/2772 दिनांक 05.05.2022

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में कलेक्टर खनिज शाखा शहडोल द्वारा भूमिगत माइनिंग लीज का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करने हेतु निर्देशित गया है, जिस तारतम्य में लेख है कि, चूंकि साहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक में उमरिया एवं शहडोल दोनों जिलों का क्षेत्र प्रभावित है जिसमें अधिकतम क्षेत्र उमरिया जिले के अंतर्गत है, हमारे द्वारा संपूर्ण खदान क्षेत्र के खनिज हेतु कार्यालय कलेक्टर उमरिया को दिनांक 04.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है एवं वांछित प्रमाण पत्र हमारे द्वारा अंतिम चरण की स्वीकृति के पूर्व आपके समक्ष सादर प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रकरण में प्रभावित 15.549 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

वास्ते, सारडा एनर्जी & मिनरल्स लिमिटेड,


शिव शंकर श्रीवास्तव,
उपाध्यक्ष - कोल माइंस

